न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर

पीठासीन अधिकारीः राजेन्द्र भट्ट, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या - 137/2019 अपील (GCMS/2019/00161)
पंजीयन दिनांक - 28.11.2019
निर्णय दिनांक - 03.01.2022

1. **श्री किशनलाल पिता श्री रामलाल तेली, निवासी रघुनाथपुरा, तहसील राजसमन्द, जिला राजसमन्द।**

-अपीलार्थी

बनाम

1. **सरकार जरिये तहसीलदार राजसमन्द।**

-प्रत्यर्थी

उपस्थिति दौराने बहसः-

1. श्री सम्पतलाल बोहरा - वकील अपीलार्थी
2. राजकीय पेरोकार श्री मुरलीधर पालीवाल - वकील प्रत्यर्थी

न्यायालय जिला कलक्टर, उदयपुर द्वारा पारित निर्णय क्रमांक प.12/3(ग)(02)राजस्व/उद्योग दिनांक 03.12.2015 के विरूद्ध अपील अन्तर्गत धारा-75 भू-राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय

दिनांक 03.01.2022

उक्त अपील अपीलान्ट द्वारा न्यायालय जिला कलक्टर, उदयपुर द्वारा पारित निर्णय क्रमांक प.12/3(ग)(02)राजस्व/उद्योग दिनांक 03.12.2015 के विरूद्ध न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं राजस्व अपील प्राधिकारी, उदयपुर समक्ष पेश की गई है। राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 17.10.2019 के क्रम में उक्त पत्रावली स्थानान्तरित होकर न्यायालय संभागीय आयुक्त में प्राप्त होकर दिनांक 28.11.2019 को दर्ज की गई।

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि-

- अपीलार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, उदयपुर समक्ष मौजा रघुनाथपुरा की भुमि खसरा नम्बर 65 रकबा 1 बीघा 7 बिस्वा व आराजी नम्बर 309/65 रकबा 2 बीघा कुल किता 2 रकबा 3 बीघा 7 बिस्वा भूमि के उद्योग प्रयोजनार्थ आवंटन बाबत आवेदन दिनांक 17.11.2014 को प्रस्तुत किया।

- न्यायालय जिला कलक्टर, उदयपुर द्वारा निर्णय दिनांक 03.12.2015 से उक्त आवेदन को अस्वीकार करते हुए निर्णय पारित किया कि **''एसडीओ से प्राप्त रिपोर्टनुसार प्रस्तावित उद्योग प्रयोजनार्थ बिलानाम भूमि आवंटन के मामलें में एसडीओ राजमसन्द द्वारा ग्रामवासियान के समक्ष स्थल निरीक्षण किया गया। मामलें में समस्त ग्रामवासियान द्वारा दिनांक 29.08.15 को श्रीमान**

जिला कलक्टर महो. को आपत्ति प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम रघुनाथपुरा के आ.न. 65 रकबा 1.07 बीघा, आ.न. 309/65 रकबा 02.00 बीघा कुल किता 2 रकबा 3.07 बीघा भूमि को उद्योग प्रयोजनार्थ किसी को आवंटन नहीं की जावें। इस भूमि के अलावा ग्राम में और बिलानाम भूमि नहीं है। अतः एसडीओ राजसमन्द की रिपोर्टनुसार प्रकरण में ग्रामवासियान की आपत्ति के अनुसार श्री किशनलाल पिता रामलाल तेली नि. रघुनाथपुरा को ग्राम रघुनाथपुरा में 3.07 बीघा बिलानाम भूमि उद्योग प्रयोजनार्थ आवंटन किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।"

न्यायालय जिला कलक्टर, उदयपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 03.12.2015 के विरुद्ध न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं राजस्व अपील प्राधिकारी, उदयपुर समक्ष दिनांक 02.07.2019 को पेश की गई है। उक्त अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा-5 मयाद अधिनियम का पृथक से प्रस्तुत किया गया। राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 17.10.2019 के क्रम में उक्त पत्रावली स्थानान्तरित होकर न्यायालय संभागीय आयुक्त में प्राप्त होकर दिनांक 28.11.2019 को दर्ज की गई। रेस्पोडेन्टस् को जरिये नोटिस सूचित किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालयों से अभिलेख मंगवाये गये। वकील पक्षकारान उपस्थित, जिनकी बहस दिनांक 14.12.2021 को सुनी गई। अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा लिखित बहस भी प्रस्तुत की गई। दौराने अपीलीय कार्यवाही, अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सपठित धारा 151 जा.दी. का प्रस्तुत किया।

विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए मौखिक बहस एवं लिखित बहस में कथन किया कि अपीलार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, उदयपुर समक्ष मौजा रघुनाथपुरा की भुमि खसरा नम्बर 65 रकबा 1 बीघा 7 बिस्वा व आराजी नम्बर 309/65 रकबा 2 बीघा कुल किता 2 रकबा 3 बीघा 7 बिस्वा भूमि के उद्योग प्रयोजनार्थ आवंटन बाबत आवेदन दिनांक 17.11.2014 को प्रस्तुत किया। आवेदन के साथ समस्त आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत किये गये। जिला कलक्टर, राजसमन्द द्वारा तहसीलदार से रिपोर्ट चाही जिस पर पटवारी हल्का ने तहसीलदार राजसमन्द को अपनी रिपोर्ट दिनांक 22.06.2015 को बना कर भेजी जिसमें सारी सिफारिश करते हुए लिखा कि उक्त दोनों आराजीयात में से कुल 3 बीघा 7 बिस्वा भूमि उद्योग प्रयोजनार्थ आवंटन हेतु प्रस्तावित है। पटवारी द्वारा सभी सम्बन्धित दस्तावेज संलग्न किये। उसके आधार पर जिला कलक्टर द्वारा उपखण्ड अधिकारी से गांववालों क दिनांक 27.08.2015 को प्रार्थना पत्र पेश होने पर रिपोर्ट चाही जिस पर उपखण्ड अधिकारी द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई जिसके आधार पर जिला कलक्टर, राजसमन्द द्वारा आवेदन निरस्त किया, जो न्याय व विधि के विपरित होकर निरस्त योग्य है। आलौच्य आदेश पारित किये जाने से पूर्व अपीलार्थी को न तो सुना गया, न ही सूचित किया गया। गांव में काफी भूमियां बिलानाम व चरागाह है परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना रिपोर्ट के यह मानकर कि इस भूमि के अलावा गांव में एक भी भूमि बिलानाम सरकार नहीं है तथा इसी आधार पर यह आवेदन निरस्त करने में भारी भूल की है, जबकि पटवारी हल्का से बिलानाम एवं चरागाह भूमि की उपलब्धता से सम्बन्धित रिपोर्ट मंगवाई जानी थी, जो नहीं की गई। गांव के कुल लोग प्रार्थी से वेमनस्य रखत है, इस कारण दो-चार गावं वालों ने गावं वालों को गुमराह कर उनके दस्तखत करा गलत प्रार्थना पत्र जिला कलक्टर समक्ष प्रस्तुत किया, जबकि गांव रघुनाथपुरा में बहुत से उद्योग लगे हुए है, यहा तक कि विवादग्रस्त जमीन के एक तरफ गेंगसा

लगा हुआ हैं और दुसरी तरफ आईल मिल का प्लान्ट लगा हुआ है तथा बीच में यह जमीन आ गयी जो केवल उद्योग हेतु ही उपयुक्त है। कथित भूमि सार्वजनिक प्रयोजनार्थ काम में नही आ सकती है फिर भी इस बिन्दु पर ध्यान नहीं दिया गया। कथित भूमि प्रार्थी के काम ही आ रही है तथा यह भूमि प्रार्थी को ही उद्योग हेतु आवंटित की जाना आवश्यक है। आलौच्य आदेश पारित किये जाने से पूर्व अपीलार्थी को न तो सुना गया, न ही सूचित किया गया, जिससे अपीलार्थी को उक्त आदेश की जानकारी नहीं हो सकी और जानकारी प्राप्त होने पर दस्तावेज प्राप्त करने उपरान्त बीमार होने से अपीलार्थी अपील ससमय प्रस्तुत नहीं कर सका जिससे अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षम्य करने बाबत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा-5 मयाद अधिनियम मय शपथ पत्र पृथक से प्रस्तुत किया गया। अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर जिला कलक्टर राजसमन्द का आदेश दिनांक 03.12.2015 निरस्त फरमाया जाकर विवादित भूमि का आवंटन उद्योग हेतु अपीलान्ट के नाम कराये जाने का आदेश प्रदान कराया जावें। अपने कथनों के समर्थन में अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा न्यायिक दृष्टांत-आरएलडब्ल्यु 2008(1) आरजे 670 प्रस्तुत किये।

दौराने अपीलीय कार्यवाही, अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सपठित धारा 151 जा.दी. का प्रस्तुत किया और कथन किया अपीलान्ट को गांव रघुनाथपुरा की बिलानाम सिवायचक काबिल काश्त भूमि की जमाबंदी दिनांक 30.12.2019 को प्राप्त हुई जिसमें बिलानाम सिवायचक काबिल काश्त भूमि 14 बीघा 17 बिस्वा बता रखी है तथा बिलानाम गैरकाबिल काश्त भूमि 37 बीघा 13 बिस्वा बता रखी है। ऐसी स्थिति के इन्द्राज जमाबंदी संवत् 2071 से 2074 में किए हुए है, जिसकी प्रति इस प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत की जा रही है जिसे अतिरिक्त साक्ष्य के रूप में रेकर्ड पर लिया जाना आवश्यक है।

विद्वान अभिभाषक राजकीय पेरोकार ने बहस का जवाब देते हुए कथन किया कि राजस्व रेकर्ड में उक्त भूमि कभी भी अपीलार्थी के नाम दर्ज नहीं रही है, ऐसे में उसे प्रश्नगत अपील प्रस्तुत करने का कोई अधिकार नहीं है। साथ ही प्रस्तुत अपील मयाद बाधित है, प्रस्तुत कारण बनावटी एवं विश्वसनीय नहीं है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलार्थी खारिज करते हुए जिला कलक्टर, उदयपुर के आदेश को यथावत रखा जावें।

हमने उपस्थित अभिभाषकगण की विद्वतापूर्ण बहस पर मनन किया। विधि के सुसंगत प्रावधानों का अध्ययन किया तथा सम्पूर्ण पत्रावली व अधीनस्थ पत्रावली का आद्योपांत अवलोकन किया। प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो का ससम्मान परिशीलन किया।

दौराने अपीलीय कार्यवाही, अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सपठित धारा 151 जा.दी. का प्रस्तुत किया और कथन किया अपीलान्ट को गांव रघुनाथपुरा की बिलानाम सिवायचक काबिल काश्त भूमि की जमाबंदी दिनांक 30.12.2019 को प्राप्त हुई जिसमें बिलानाम सिवायचक काबिल काश्त भूमि 14 बीघा 17 बिस्वा बता रखी है तथा बिलानाम गैरकाबिल काश्त भूमि 37 बीघा 13 बिस्वा बता रखी है। ऐसी स्थिति के इन्द्राज जमाबंदी संवत्

2071 से 2074 में किए हुए है, जिसकी प्रति इस प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत की जा रही है जिसे अतिरिक्त साक्ष्य के रूप में रेकर्ड पर लिया जाना आवश्यक है। प्रस्तुत किए गए दस्तावेज राजकीय विभाग से जारी की गई प्रतियां है, हस्तगत प्रकरण में निर्णय प्रतिपादित किये जाने में सहायक होगे, जिससे यह दस्तावेज आदेश 41 नियम 27 (ख) के परिपेक्ष्य में रिकार्ड पर लिया जाना आवश्यक है। राजस्व अभिलेखों के अनुसार जारी दस्तावेजों की सत्यता पर भी प्रश्न नहीं उठाया जा सकता है। अतः प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश धारा-41 नियम 27 स्वीकार किया जाता है।

प्रस्तुत अपील मयाद बाहर प्रस्तुत की गई, मयाद को उपशमन किये जाने बाबत अपीलार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र धारा-5 मयाद अधिनियम का प्रस्तुत किया। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वर्णित कारणों पर मनन किया गया और पाया गया कि अपने कथनों के समर्थन में अपीलार्थी द्वारा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये गये। इस न्यायालय का यह मत है कि अपीलार्थी द्वारा अपने आवेदन पर जिसको जिला कलक्टर द्वारा वर्ष 2015 में ही निरस्त कर दिया, की संबंध में वर्ष 2019 तक कोई जानकारी नहीं हो, यह संभव सा प्रतीत नहीं होता है। प्रस्तुत कारण विश्वसनीय एवं संतोषजनक प्रतीत नहीं होते है। अपीलार्थी द्वारा न्यायालय हाजा समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा-5 मयाद अधिनियम में ऐसा कोई ठोस युक्तियुक्त कारण नहीं बताया है, जिसके आधार पर अपील प्रस्तुत नहीं करने के क्या पर्याप्त और औचित्यपूर्ण कारण रहे है। विधिक प्रावधानों अनुसार विलम्ब हेतु प्रत्येक दिवस के क्या कारण रहे है, स्पष्ट किया जाना आवश्यक है। न ही अपीलार्थी द्वारा अपने कथनों के समर्थन में साक्ष्य प्रस्तुत किए है। विभिन्न न्यायालयों द्वारा कई मामलों में यह दृष्टांत प्रतिपादित किये है कि अपीलार्थी द्वारा अपील दायर करने में हुई देरी बाबत औचित्यपूर्ण, सत्य, विश्वसनीय एवं संतोषजनक कारण प्रस्तुत करते हुए न्यायालय को संतुष्ट किया जाना आवश्यक होता है, ऐसा नहीं होने की स्थिति में मयाद को कण्डोन नहीं किया जा सकता है। हस्तगत प्रकरण में अपीलार्थी द्वारा मयाद कण्डोन किये जाने बाबत जो कारण प्रस्तुत किये है, वह संतोषप्रद एवं पर्याप्त नहीं है। विलम्ब की देरी हेतु प्रत्येक दिन का कारण बताया जाना आवश्यक है। हस्तगत प्रकरण में देरी को उपशमन करने का कोई न्याय संगत आधार नहीं है।ऐसे में हस्तगत अपील मयाद के बिन्दु पर ही खारिज योग्य है।

न्यायहीत में प्रकरण को यह न्यायालय गुणावगुण पर भी विवेचित किया जाना उचित समझता है। पत्रावली के अवलोकन से यह ज्ञात होता है कि अपीलार्थी श्री किशनलाल पिता श्री रामलाल तेली निवासी रघुनाथपुरा के द्वारा ग्राम रघुनाथपुरा तहसील राजसमन्द में स्थित आ.न. 65 रकबा 01.07 बीघा व आराजी न. 309/65 रकबा 02.00 बीघा किता 2 रकबा 03.07 बीघा बिलानाम गैर काबिल काश्त मगरी भूमि का उद्योग प्रयोजनार्थ आवंटन चाहा गया जिस पर नियमानुसार कार्यवाही प्रारम्भ की गई। प्रस्तुत आवेदन के साथ संलग्न दस्तावेज के अवलोकन से प्रकट होता है कि अपीलार्थी द्वारा संबंधित ग्राम पंचायत (स्थानीय निकाय) की अनापत्ति प्रस्तुत नहीं की गई। इसका उल्लेख तहसीलदार द्वारा अपनी रिपोर्ट में भी किया गया है। उपखण्ड अधिकारी से प्राप्त रिपोर्टनुसार प्रस्तावित उद्योग प्रयोजनार्थ बिलानाम भूमि आवंटन के मामलें में उनके द्वारा ग्रामवासियान के समक्ष स्थल निरीक्षण किया गया। मामलें में समस्त ग्रामवासियान द्वारा दिनांक 29.

08.15 को जिला कलक्टर को आपत्ति प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम रघुनाथपुरा के आ.न. 65 रकबा 1.07 बीघा, आ.न. 309/65 रकबा 02.00 बीघा कुल किता 2 रकबा 3.07 बीघा भूमि को उद्योग प्रयोजनार्थ किसी को आवंटन नहीं की जावें। इस भूमि के अलावा ग्राम में और बिलानाम भूमि नहीं है। उपखण्ड अधिकारी राजसमन्द की रिपोर्टनुसार प्रकरण में ग्रामवासियान की आपत्ति के अनुसार श्री किशनलाल पिता रामलाल तेली नि. रघुनाथपुरा को ग्राम रघुनाथपुरा में 3.07 बीघा बिलानाम भूमि उद्योग प्रयोजनार्थ आवंटन किया जाना उचित प्रतीत नहीं होने से जिला कलक्टर, राजसमन्द द्वारा अपीलार्थी का आवेदन निरस्त किया। यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी उक्त भूमि का खातेदार नहीं है, उक्त भूमि राजकीय भूमि होकर बिलानाम गैर काबिल काश्त दर्ज है, जिसके आंवटन के संबंध में आवंटन अधिकारी को सम्पूर्ण अधिकार प्राप्त है। न ही हस्तगत प्रकरण अतिक्रमण एवं नियमन से संबंधित है, आवेदित आवंटन के संबंध में आपत्तियां प्राप्त हुई, जिसके आलोक में आवंटन अधिकारी जिला कलक्टर द्वारा आवेदन आवंटन बाबत निरस्त किया गया, जिसमें यह न्यायालय कोई त्रुटि नहीं पाता है।

जहां तक अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर दिये जाने का प्रश्न है, यह मान भी लिया जाये की अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उसे अवसर प्रदान नहीं किया गया परन्तु अपीलीय न्यायालय समक्ष उसे पर्याप्त सुनवाई के अवसर प्रदान किये गये फिर भी अपीलार्थी आलौच्य आदेशों में किये विवेचन का सफलतापूर्वक खण्डन करने के असफल रहा है। हमारी सुविचारित राय में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए, तथ्यों का पूर्ण परिक्षण एवं विश्लेषण कर आलौच्य निर्णय पारित किया है, ऐसे तर्कसगत एवं विधिसम्मत निर्णय में हम कोई हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते है। अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत भी हस्तगत प्रकरण से सुसंगत नहीं होने से चस्पा नहीं होती है।

फलस्वरूप अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाती है। अपीलाधीन आदेश यथावत रखा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के साथ निर्णय की प्रति प्रेषित की जावें। बाद कार्यवाही पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय सुनाया गया।

(राजेन्द्र भट्ट)
संभागीय आयुक्त, उदयपुर